संख्या: 1:05:138:I:सीएस

दिनांक: 11.12.2025

National Stock Exchange of India Ltd, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI – 400 051.** **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,** लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई.) **मुंबई - 400 051.**	**BSE Limited,** Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI – 400 001.** **बीएसई लिमिटेड,** कॉर्पोरेट सेवा विभाग, फ्लोर - 25, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, **मुंबई - 400 001.**

विषय: पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी - 'लातूर रेज ट्रांसमिशन का निगमन।

महोदया/महोदय,

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है:"

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	उद्देश्य
1	लातूर रेज ट्रांसमिशन लिमिटेड	400/220/132 kV AIS लातूर की स्थापना हेतु।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड ने दिनांक 14.08.2025 को 'आशय पत्र' जारी किया है, जिसके तहत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड को 'टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया' के माध्यम से उपरोक्त पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु 'पारेषण सेवा प्रदाता' के रूप में बोलीदाता के चयन के लिए 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' नियुक्त किया गया है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, बोली प्रक्रिया समन्वयक को परियोजना प्रोफाइल तैयार करनी होती है और भूमि अधिग्रहण तथा वन मंजूरी (यदि आवश्यक हो) की प्रक्रिया शुरू करनी होती है। इन गतिविधियों के लिए, एक 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' का निगमन आवश्यक है, जो पारेषण परियोजनाओं की विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियों को संभालेगा, जैसे कि सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करना, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करना और आवश्यकतानुसार वन मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना।

विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 'पारेषण सेवा हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों' के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को एसपीवी हस्तांतरित किया जाना है।

तदनुसार, उपरोक्त पारेषण योजना को विकसित करने के लिए उक्त एसपीवी को पीएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसपीवी को सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया सफल बोलीदाता ही इस परियोजना को विकसित करेगा।

यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय,
पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com